संख्या शिक्षा के० जी० आर० (जी-4)Misc.
कार्यालय उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक)
कॉगड़ा स्थित धर्मशाला
दिनांक: धर्मशाला – 176215

Deputy Director of
School Education (Sec)
16 FEB 2026
Dispatch No. 20072-73
Kangra at Dharamshala

सेवा में

समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य निजी विद्यालय
CBSE /HPBOSE /ICSE बोर्ड से संबद्धता प्राप्त
जिला कॉगड़ा I

विषय- प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबें कापियाँ तथा स्कूल वर्दी बारे मनमानी रोकने बारे आग्रह।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर निदेशक स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश से प्राप्त पत्र संख्याः शिक्षा - एच (21) ए (1) पी.एस -16/2019-सामान्य निर्देश दिनांक 27.01.2026 के सन्दर्भ में निदेशक स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश संज्ञान में आया है कि निजी स्कूलों द्वारा छात्रों तथा अभिभावकों को चिन्हित दुकानों से किताबें कापियों तथा स्कूल वर्दी आदि खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जोकि सरकारी निर्देशों के विरुद्ध है।

उक्त विषय के सन्दर्भ में निदेशालय के पत्र संख्याः शिक्षा - एच (21) ए (1) पी.एस -16/2019-सामान्य निर्देश दिनांक 05.12.2019 व 18.01.2020 की निरन्तरता में आपको निर्देश दिये जाते है कि :-

1. हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियमन (अधिनियम) 1997 में निहित प्रावधानों के अनुसार छात्रों से ली जाने वाली फीस शोषण करने वाली न हो। इसलिए समस्त निजी स्कूल प्रबन्धकों / प्रधानाचार्यों / मुख्याध्यापकों को शिक्षक अभिभावक संघ (PTA) के माध्यम से प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने से पूर्व समस्त अभिभावको को आमन्त्रित कर पाठशाला में सामान्य सभा (General House) का आयोजन करने तथा सामान्य सभा में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस व फण्ड के बारे विचार विमर्श करने के उपरान्त सामान्य सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस व फण्ड का पूर्ण विवरण (Break-up) सहित कक्षा बार पुस्तकों की सूची अभिभावकों की सूविधा हेतु स्पष्ट शब्दों में स्कूल के नोटिस बोर्ड व वैबसाईट पर प्रदर्शित करें।
2. किसी भी स्कूल द्वारा छात्रों को स्कूल के प्रतिक चिन्ह (Logo) वाली किताबें / कापियाँ लेने के लिए बाध्य न किया जाये।
3. समस्त निजी स्कूल प्रबन्धक किसी भी चिन्हित दुकान से अभिभावकों को किताबे, कापियाँ, बर्दी व जूते आदि खरीदने पर बाध्य न करे।
4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 8789/2014 & CWP No. 8781/2024-titled as Business Institute of Management Sciences Vs of State of IHP and others के सन्दर्भ में दिनांक 27.04.2016 को जारी निर्देशानुसार पाठशाला प्रबन्धन द्वारा छात्रों से भवन निधि, विकास निधि व अवसंरचना निधि (Building fund, Development fund & infrastructure fund) न बसुली जाये।

उक्त सन्दर्भ में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप उक्त निर्देशों की अनुपालना करे। उपरौक्त निर्देशों का पालन न करने के सन्दर्भ में भविष्य में जिन स्कूलों के विरुद्ध अधोहस्ताक्षरी को शिकायत प्राप्त होगी उन स्कूलों के विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व अधिनियम 1997 तथा नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा जारी किये गये अनापति प्रमाण पत्र को रद्द किया जा सकता है। जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेवार होगा।

उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) कॉगड़ा स्थित
धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्याः सम् दिनांकः शिमला- 176215

प्रतिलिपि : 1. निदेशक स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित है
2. रक्षक नस्ति।

Sd/-

उप निदेशक स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) कॉगड़ा स्थित
धर्मशाला

Scanned with OKEN Scanner